झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–52/2019– 1020 **व०प०, राँची, दिनांक–** 19/03/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– **गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजा–खापेबेरा, पीरटांड में 33/11 K.V. सब–स्टेशन निर्माण हेतु (प्रस्ताव संख्या–FP/JH/VELEC/34134/2018) कुल–0.5139 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–143 दिनांक–24.02.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1327 दिनांक–30.09.2019 द्वारा संसूचित किया गया है कि विषयक प्रस्ताव के Part-II के कंडिका–8(iii) में प्रविष्ट सूचना 'Yes' है। पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी के ESZ की अधिसूचना (So. 2795E dated-05.08.2019) भारत सरकार द्वारा निर्गत की जा चुकी है एवं परियोजना का प्रस्तावित स्थल ESZ अधिसूचित सीमा से बाहर है। अतः उक्त कंडिका में 'No' प्रविष्ट करना अपेक्षित है।

विषयक प्रस्ताव के Part-II के कंडिका–8(iv) में प्रविष्ट की गई पृच्छा 'Yes' है। प्रस्तावित वनभूमि की सीमा से 1 कि0मी0 के अंदर National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserve, Tiger Reserve एवं Elephant Corridor अवस्थित नहीं है। अतः उक्त कंडिका में 'No' प्रविष्ट करना अपेक्षित है।

वर्णित स्थिति में उपलब्ध कराये गये मंतव्य के आलोक में Part-II में Online सुधार कर, संशोधित Part-II की हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

19/3/20

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–52/2019– 1020 व०प०, राँची, दिनांक–19/03/2020

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/विद्युत कार्यपालक अभियंता, पावर हाउस, बरगंडा, गिरिडीह, झारखण्ड–815301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/20

विशेष कार्य पदाधिकारी

 Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com